(55)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर,

प्रकरण कमांक /2014 पुनरीक्षण R.958-II/14

देवेन्द्र पुत्र श्री नाथूराम रघुवशी निवासी- ग्राम बमनावर तहसील ईसागढ़ व जिला अशोक नगर म0प्र0 ....आवेदक

बनाम

रामस्वरूप पुत्र सीताराम शर्मा हाल निवासी- ग्राम खिरया देवत, तहसील ईसागढ़ व जिला अशोक नगर, ---अनावेदक

② म0 प्र0 शासन

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश पत्रिका दिनांकी 11/3/2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील ईसागढ़ जिला अशोक नगर के प्रकरण कमांक 107/बी-121/2013-14

N.S. GAUR
Ad.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्नप्रकार प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रकरण में अनावेदक रामस्वरूप द्वारा एक शिकायती आवेदनपत्र कलेक्टर महोदय जिला अशोक नगर को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गरोठी एंव वमनावर एंव कृषि भूमि ग्राम खिरियादेवत कृषि भूमि ग्राम गरोठी के सर्वे कमांक 408, 409, 411 एंव ग्राम बमनावर के सर्वे कमांक 1372, 1403 एवं ग्राम खिरियादेवत की भूमि सर्वे कमांक

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-958-दो/14 **जिला** - अशोकनगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी ईशागढ़ जिला अशोकनगर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी ईशागढ़</u>**	